भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4037
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

शुद्ध शाकाहारी खाद्य पदार्थों में मांसाहारी सामग्री

4037. श्री अनिल यशवंत देसाई:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ स्थापित खाद्य/पेय निर्माताओं द्वारा शाकाहारी मानकर तैयार और विपणन किए जाने वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मांसाहारी सामग्री का उपयोग किया जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो कुछ शुद्ध शाकाहारी खाद्य पदार्थों में मांसाहारी सामग्री परोसने वाले ऐसे बड़े ब्रांडों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या ऐसी घटनाएं पहले भी एयरलाइंस और रेलवे में हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) ऐसे मामलों में सरकार द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए क्या कानूनी कार्रवाई की गई है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) एवं (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की स्थापना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (अर्थात् एफएसएस अधिनियम 2006) में निहित प्रावधानों के अनुसार की गई थी और इसे खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिदेश दिया गया है।

एफएसएसएआई द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, पहले से पैक किए गए शाकाहारी खाद्य में मांसाहारी सामग्री की कोई घटना उनके पास नहीं आई है। इसके अलावा, पैकेज्ड खाद्य उत्पादों के लिए शाकाहारी या मांसाहारी के बारे में घोषणा को एफएसएसएआई ने अपने खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और डिस्पले) विनियम, 2011 के उप-विनियम 5(4) के तहत निर्दिष्ट किया है। दूसरी ओर, शाकाहारी या मांसाहारी के बारे में घोषणा को भी उनके द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और डिस्पले) विनियम, 2011 के उप-विनियम 9(2)(ख) के तहत 'खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में सूचना के डिस्पले' के लिए निर्दिष्ट किया गया है। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के लिए एफएसएसएआई द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विनियमों का पालन करना अनिवार्य है। उपर्युक्त वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, एफएसएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अपराध एवं दंड के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता एफबीओ के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

(ग) और (घ): एफएसएसएआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उनके पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसी तरह, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी सूचित किया है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और एयरलाइंस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाल ही में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। इसके अलावा, भारत सरकार के रेल मंत्रालय के तहत रेलवे बोर्ड ने भी सूचित किया है कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, आईआरसीटीसी को विगत में ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

*****